

५७

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इन्डौर (म. प्र.)

निगरानी - ५८२७/२०१८/धर/भू०

राजस्व निगरानी कमांक

जगदीश पिता भीमाजी पाटीदार
आयु - 50 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - कुक्की तहसील जिला धार

- प्रार्थी

८१३०८१५०१
१८१-१८११५०१

विरुद्ध

1. बद्रीलाल पिता भीमाजी पाटीदार
आयु - 61 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - कुक्की तहसील जिला धार
2. रणछोड पिता भीमाजी पाटीदार
आयु - 54 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - कुक्की तहसील जिला धार
3. रमेश पिता भीमाजी पाटीदार
आयु - 58 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - कुक्की तहसील जिला धार
4. सुमनबाई पिता भीमाजी पति भगवानजी पाटीदार
आयु - 56 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - कुक्की तहसील जिला धार
5. रमेश पिता भीमाजी पाटीदार मृत वारिस
 1. राजेन्द्र पिता रमेशजी पाटीदार उम् 45 वर्ष
 2. लोकश पिता रमेशजी पाटीदार उम् 41 वर्ष
 3. अजोध्या पति रमेशजी पाटीदार उम् 58 वर्ष
 सभी निवासी - कुक्की तहसील जिला धार

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

९६८
११-०९-२०१८



- रेस्पोडेन्ट

निगरानी अंतर्गतधारा ५० म. प्र. भू. रा. संहिता के तहत

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० (१) म. प्र. मु. रा. स. १९५९ के तहत तहसीलदार तहसील कुक्की, जिला धार के प्रकरण कमांक ११/अ-६/२०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक १२.०७.१८ के आदेश से व्यथित होकर उपरोक्त निगरानी सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत है।

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 5827 / 2018 / धार / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री कैलाश पाटीदार अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायलय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर जिला धार के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> मनोज गोयल</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p> <p style="text-align: right;">27.12.18 </p>	